

न्यायालय  
अधी  
शहर  
संख्या 23/22

फर्द अहकाम  
- न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

अप्रार्थीगण  
राज्य सरकार व अन्य  
प्रार्थना पत्र अन्तर्गन्त धारा 128 एल. आर. एक्ट

बनाम

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

दिनांक  
आज्ञा या  
कार्यवाही  
31.03.2022

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुधीर शर्मा द्वारा प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गन्त धारा 128 एल. आर. एक्ट पेश किया गया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण के जरिये नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 20/04/2022 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
बस्सी, जयपुर

205  
11/4/22  
नोटिस जारी

पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दोरे/अन्य  
कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही  
नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक

20/4/22  
5/5/22

4/5/22  
न्यायाधीश 6 लगा-9  
(रमेश च-दक्षिणी)  
न्यायाधीश की

पत्रावली आठ पेश हुई। वकील श्री उपस्थित।  
आज्ञा विस्तृत रूप से 6 लगा 9 की ओर से  
वकील श्री रमेश च-दक्षिणी द्वारा पत्रावली पेश।  
आज्ञा विस्तृत रूप से पत्रावली वास्तव में  
6 लगा 9 के तालिका पर उचित नोटिस  
दिए बिना 9/6/22 को पेश हो।

9/6/22

पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दोरे/अन्य  
कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही  
नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक  
30/6/22 को पेश हो।

30/6/22

पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दोरे/अन्य  
कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही  
नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक  
21/7/22 को पेश हो।

21/7/22

पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दोरे/अन्य  
कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही  
नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक  
8/9/22 को पेश हो।

8/11/22  
पत्रावली पेश हुई। वकूलाय द्वारा  
कन्डोलेंस/कार्य स्थगित करने  
के कारण कार्यवाही नहीं की जा  
सकी। पत्रावली दिनांक 10/11/22  
को पेश हो।

11/11/22  
पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दौरे/अन्य  
कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही  
नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक  
11/11/22 को पेश हो।

11/11/22 पत्रावली आज पेश हुई वकील प्राची उपस्थित।  
समस्त अप्रार्थीगण का नामील धर्ष में रजिस्टर्ड  
से करवाई जा चुकी है। वकील अप्रार्थीगण 6709  
के अधिवक्ता के द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया है।  
अधिकांश सभी अप्रार्थीगण के जवाब का अवसर बंद किया  
जाता है तथा वकील प्राची का प्रार्थना पत्र पर सुना जाकर  
प्रार्थना पत्र 128 एल-आर-एच यू-राजस्व अधिनियम  
को लीकाट किया जाता है। सिस्टा निर्णय प्रत्येक प्रत्येक  
से लिखवाया जाकर पत्रावली के हमजाता है। पत्रावली  
जिसल वृत्तात लेकल दर्ज नम्बर से कम होने पर पत्रावली  
दालाट है।

26

उप खण्ड अधिकारी  
बस्ती (जिला जयपुर)